

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I).....10/20-21 य० ए०

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक:

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो० हिन्डू रॉंची।

/रॉंची, दिनांक:- 22.01.2021

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये 40,00,000.00 (चालीस लाख रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, कृषक जागरूकता अभियानों एवं प्रशिक्षणों में भाग लेने तथा विभागीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में एक निश्चित अन्तराल पर प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है। यह प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के उच्च स्तर के संस्थानों में भी प्रस्तावित है। साथ ही, विभाग में उत्कृष्ट कार्यों के मूल्यांकन (Evaluation) के आधार पर अभियंताओं, अधिकारियों कर्मचारियों, कृषकों, जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों, इत्यादि को पुरस्कृत करने/प्रशस्ति पत्र दिये जाने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों, CADWM एवं सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों (WUAs) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर कृषकों/जल उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों को बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। साथ ही, जल संसाधन के विकास एवं नदी घाटी योजनाओं पर आधारित बी०आई०एस० (B.I.S.) कोड की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी तथा इसके अद्यतन संस्करण की खरीद, सी०बी०आई०पी० (C.B.I.P.), तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित जल संसाधन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन तथा वन एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी पुस्तकों का क्रय करने तथा उसके संधारण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की उपलब्धियों तथा चालू वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य

nf

योजना से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, विभाग के स्तर से निर्धारित की जानेवाली नीतियों से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, PIM की पुस्तिका का प्रकाशन तथा विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले विज्ञापनों पर होने वाले व्यय का प्रावधान समाहित किया गया है।

सी०पी०एम०/पर्ट (C.P.M./ PERT), जल विज्ञान, जलीय संरचनाओं का रूपांकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि से संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (STADD. PRO, AUTO-CAD, Arc-GIS आदि) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखण्ड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन तथा राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करने की भी आवश्यकता है। उपर्युक्त कार्य, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-I पर अंकित है, के लिए रु० 40.00 (चालीस) लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष के अधीन भारित होगा :-

(I)	49S470180796690321	:-	Rs. 20,00,000.00
(II)	49S470180003690321	:-	Rs. 20,00,000.00
	Total	:-	Rs. 40,00,000.00

3. (क) इस कार्य के अन्तर्गत जिस प्रक्षेत्र के लिए राशि की निकासी होगी उसी प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ख) इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महागामा/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/उप-निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची होंगे। राशि की निकासी प्रमण्डल से संबंधित क्षेत्र के कोषागार से होगी।

4. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में रु० 40.00 (चालीस) लाख का बजट उपबंध है।

6. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.2021

प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.2021

प्रतिलिपि:- कोषागार, पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढवा/देवघर/ राँची/हजारीबाग/ सरायकेला-खरसावाँ/साहेबगंज/उप-कोषागार, घाटशिला/तेनुघाट, झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.2021

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/ संयुक्त सचिव(अभि.)/उप सचिव (अभि.)/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल भवन, डोरण्डा, राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ हजारीबाग/ मेदिनीनगर/ देवघर/ईचा-गालूडीह/चांडिल कम्पलेक्स/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/ जलपथ अंचल, हजारीबाग/बराज अंचल, गालूडीह/खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/समग्र योजना एवं जल विज्ञान, अंचल, राँची/सिंचाई अंचल, जसीडीह शिविर-देवघर/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महागामा/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/उप-निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-2/पीएमसी/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.2021
प्रतिलिपि:-आयुक्त, दक्षिणी छोटानागरपुर प्रमण्डल, राँची/उत्तरी छोटानागरपुर, प्रमण्डल, हजारीबाग/कोल्हान प्रमण्डल/संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-2/पीएमसी/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.2021
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-2/पीएमसी/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.21
प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता (मो०)-1, 2, एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-1/2/3/4/5/6/7, जल संसाधन विभाग, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-2/पीएमसी/आवंटन/45/2008 (Part-I)-10/20-21/राँची, दिनांक:-22.01.2021
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

महालेखाकार झारखंड को संसूचित किये जाने वाले राज्यादेश के संबंध में जाँच पत्र

1. विभाग का नाम :- जल संसाधन विभाग
 2. संचिका संख्या :- 2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)
 3. प्रस्ताव :- विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
 4. प्रस्ताव स्वीकृत्यादेश द्वारा राजपत्रित पद सृजन अथवा विस्तार किया गया अथवा नहीं यदि हाँ तो क्या दो प्रतियों में भेजी जा रही है। :- नहीं
 5. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई या नहीं :- झारखंड सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं. 802 राँची दिनांक: 18/03/2005, के आलोक में प्रस्ताव का समावेश वर्ष 2020-21, के सी. ओ. बी. टी. में है। संगत कार्य हेतु बजट उपबंध प्राप्त है।
 6. वित्त विभाग में प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं दिनांक :-
 7. महालेखाकार, झारखंड को संसूचित किये जाने वाले पत्र की संख्या एवं तिथि :-
 8. यह प्रमाणित किया गया कि उपर्युक्त कंडिका 1 से 7 तक में दिये गये विवरण ठीक है, एवं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश इसके पूर्व संसूचित करने हेतु वित्त विभाग को नहीं भेजा गया है। :-
- नोट: उपसचिव के स्तर के पदाधिकारीयों से नीचे स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।


 संयुक्त सचिव (अभि.)
 जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट-I

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षणों एवं अन्य संबंधित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य विवरणी
1	जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन, इत्यादि पर सम्मेलन, सेमिनार वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण का आयोजन	जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन विषय पर राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा समय-समय पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित कर विभागीय अभियंताओं को इस क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराने के साथ-साथ इनकी तकनीकी क्षमता का विकास करना है। साथ ही विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशासनिक क्षमता में भी वृद्धि की आवश्यकता है।
2	विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संस्थानों द्वारा आयोजित वर्कशॉप/प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क के साथ-साथ सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप के लिये राशि प्रावधान	राज्य, राज्य से बाहर विदेशों में विशिष्ट संस्थानों द्वारा सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क लिया जाता है। विभागीय अभियंताओं/पदाधिकारियों तथा क्षेत्र में कृषकों एवं जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों को इन गतिविधियों में उनके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने तथा क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों, CADWM सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप एवं अन्य आवश्यक व्यय यथा प्रशिक्षण सामग्री, अल्पाहार इत्यादि के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है। कृषकों/जल उपभोक्ता संघों के सदस्यों को बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्रावधान भी इसमें शामिल है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य विवरणी
7	एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद एवं रख-रखाव	जल विज्ञान, GIS, CPM & PERT जल संसाधन संरचनाओं का रूपांकण, चित्रांकण, वेब आधारित जलावंदन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि का संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (STADD. PRO. Auto CAD, Arc GIS etc) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखण्ड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन एवं उसके अन्तर्गत पड़ने वाले जल संसाधन परियोजनाओं का टोपोशीट के सॉफ्ट कॉपी पर इन परियोजनाओं का स्थल, कैचमेंट तथा कमान्ड एरिया को चिह्नित कर राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करना, जल संसाधनों योजनाओं के निर्माण, सम्पोषण अनुश्रवण एवं निर्मित योजनाओं के मूल्यांकन में उपयोग किया जाना है। उपरोक्त वर्णित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त विभागीय कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन में उपयोग में आने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रय, Installation एवं रख-रखाव (AMC) करने की योजना है।

2/2


संयुक्त सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची।

20/20-21 य.एच. दिनांक - 22.01.2021